

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
106/2023

दायर दिनांक
17.03.2023

निर्णय दिनांक
26.02.2024

उनवान

1. काना उर्फ कन्हेया लाल पुत्र श्री ऊंकार जाट आयु वयस्क निवासी छापरी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

-प्रार्थी

बनाम

1. बालू पुत्र श्री चत्रभुज जाट आयु वयस्क निवासी छापरी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. कुसुम पुत्री श्री गोपाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी छापरी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. चांदी देवी पत्नी श्री कल्याण ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी- छापरी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. जगदीश पुत्र श्री कल्याण ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी छापरी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. नन्द लाल पुत्र श्री कल्याण ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी छापरी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. लाड़ पत्नी स्व० गोपाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी छापरी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. रोहित कुमार पुत्र श्री राधेश्याम खोईवाल आयु वयस्क निवासी दादावाडी, खटीक मौहल्ला, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)


-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी अशोक कुमार खटीक
अप्रार्थी संख्या 01 02, 04 से 07 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा छापरी प०ह० पालड़ी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 34 की अभिलिखित आराजियात 467/1 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार कारतकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, व 8 के विरुद्ध दिनांक 13.06.2023 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए अतः इनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। अप्रार्थी संख्या 03 की मृत्यु हो चुकी है। शेष अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पितन मनन किया एव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरखहस के खातेदार कारतकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा छापरी 40ह0 पालडी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 34 की अभिलिखित आराजियात 467/1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिक्केन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरों एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहशीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्रज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रूप (आवेदन निवृत्ति सामनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा